



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

Advertisement No:03/Advocate/UPPCL/2021

(Only for 32 Districts namely- Amroha, Auriya, Basti, Chitrakut, Etah, Itawa, Farrukhabad, Firozabad, Gazipur, Hamirpur, Kannauj, Kanpur dehat, Kasganj, Bhadohi, Sravasti, Siddarth Nagar, Sonbhadra, Sultanpur, Amethi, Bahraich, Banda, Balrampur, Badaun, Chandauli, Lalitpur, Lakhimpur Kheri, Mahoba, Maharajganj, Sitapur, Sant Kabir Nagar, Jalaun, Sambhal)

Online application are invited from exprienced advocates who are interested to be included in the empanelment list of distribution companies(i.e Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd,Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd,Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd,Dakshinanchal Vidyut Nigam Ltd and kesco) for cases in the District Court (Civil/Consumer Forum/Criminal/Lok adalat/CGRF etc.)

- Presently empanelled advocates also have to apply afresh.
- Advocate who applied earlier need not to apply again.

The eligibility criteria and other conditions are available on the official website of UPPCL www.upenergy.in under tab "Vacany". In case of any query kindly mail it to legalcelluppclhq2012@gmail.com or contact at 0522-2288407 between 10.00 to 17.00hrs on any working day.

Online application form opening date- 01- 08 -2021

Online application form closing date- 22 - 08 -2021


Dy-Law Officer
UPPCL

कारपोरेशन का 03/10-1420 दि 21.12.2018 द्वारा जारी अधिवक्ता नीति के नियम एवं शर्तों के अनुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० तथा सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल एवं केस्को के विरुद्ध जिला न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं। जिनकी योग्यता, शर्तें एवं सामान्य निर्देश निम्न प्रकार से हैं—

मा० जनपद न्यायालय एवं समस्तरीय न्यायालय हेतु—

(क) योग्यता की शर्तें :-

1. जनपद न्यायालयों में पैरवी करने हेतु कम से कम 07 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।
2. पैनल अधिवक्ता नामित करने हेतु अधिवक्ता को आयकर दाता होना चाहिये।
3. पैनल अधिवक्ता हेतु आवश्यक होगा कि उसके द्वारा पिछले 03 वर्षों में कम से कम 30 मुकदमों में पैरवी की गयी हो एवं कम से कम 15 मुकदमों में जीत/सफलता प्राप्त की हो।

(ख) चयन प्रक्रिया :-

1. अधिवक्ताओं के प्रस्ताव-पत्रों के जाँचोपरान्त संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी तथा साक्षात्कार के पश्चात अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
2. कारपोरेशन द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य होगा।
3. किसी भी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित दबाव/सिफारिश करना, प्रस्ताव के अस्वीकृत किये जाने का आधार हो सकेगा।
4. अधिवक्ता नीति के अनुसार अधिवक्ताओं से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की छँटनी करने के उपरान्त चयन सम्बन्धी प्रक्रिया की जायेगी।

सामान्य अनुदेश :-

1. अधिवक्ताओं को साक्षात्कार एवं अन्य सूचनाएँ उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आई०डी० पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अधिवक्ता को रजिस्टर्ड ई-मेल आई०डी० को चयन के दौरान सक्रिय अवस्था में रखना आवश्यक है।
3. ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.upenergy.in पर उपलब्ध प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।
4. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता/खर्च देय नहीं होगा।
5. चयनित स्थायी अधिवक्ता को रिटेनरशिप देय नहीं होगी एवं फीस कारपोरेशन नियमानुसार देय होगी।
6. आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कारपोरेशन के ई-मेल Legalcelluppclhq2012@gmail.com एवं दूरभाष सं०-0522-2288407 पर 10:00 AM से 05:00 PM तक कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22.08.2021 होगी।